सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 26, शनिवार, *शाके 1946*- फरवरी 15, 2025 *Magha 26, Saturday, Saka 1946- February 15, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2022

संख्या एफ 10 (38) वन/89 पार्ट :-सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राज्य सरकार विभिन्न वन संभागों के लिए गठित तेन्दू पत्ता सलाहकार समितियों की सिफारिशों पर निम्नानुसार तेन्दू पत्ता संग्रहण दर अधिसूचित करती है। जो **वित्तीय वर्ष 2022-23** के दौरान राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों या राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम 1974 की धारा-4 के अधीन नियुक्त अभिकर्ताओं तथा इकाई में नियुक्त क्रेताओं द्वारा राजकीय वनों तथा भूमियों से तेन्दू पत्ता संग्रहण करने के लिए लगाए गए व्यक्तियों को प्रतिमानक बोरा (50000 तेन्दू पत्ता बीडी बनाने योग्य) चुकाई जावेगी :-

क्र.स.	नाम संभाग	अधीनस्थ वन मण्डलों के नाम	निर्धारित संग्रहण दर प्रतिमानक बोरा (रूपयोंमें)
1	संभाग उदयपुर	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर (उत्तर), उदयपुर, प्रतापगढ़एवंचित्तौडगढ़	1100/- प्रतिमानकबोरा
2	संभाग अजमेर	भीलवाड़ा	1100/- प्रतिमानकबोरा
3	संभाग कोटा	बूंदी, बारांएवंझालावाड़	1100/- प्रतिमानकबोरा
4	संभाग जोधपुर	सिरोहीएवंपाली	1100/- प्रतिमानकबोरा
5	संभाग भरतपुर	धौलपुर	1100/- प्रतिमानकबोरा

राज्यपाल के आदेश से

बी. प्रवीण,
शासन सचिव।

9805

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।